न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 22 / 2019

1 देवला उर्फ देवीसहाय पुत्र बोदूराम आयु 70 वर्ष जाति माली निवासी हनुमान नगर चौकड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 सुखा पुत्र बोदू।
2 हरलाल पुत्र कानाराम।
3 रतनलाल पुत्र कानाराम।
4 नेमीचन्द पुत्र कानाराम।
5 सोनी देवी पत्नी कानाराम समस्त जाति माली निवासीगण हनुमान नगर (चौकड़ी) तहसील खण्डेला जिला सीकर।
6 उप पंजियक खण्डेला जिला सीकर।
7 पटवार हल्का चौकड़ी।
8 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक खण्डेला दिनांक 22.03.2019 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 22/1/19

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक खण्डेला में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 768,842,843,846,847,848,860,872,879,880, 881,917,921,960 तन ग्राम हनुमान नगर (चौकड़ी) तहसील खण्डेला बाबत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 15.06.2018 को यथास्थिति, निर्माण कार्य आदि नही करने बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की। विचारण न्यायालय ने दिनांक 22.03.2019 को उभयपक्ष को सुनकर अपने उपरोक्त अन्तरिम स्थगन में संशोधन करते हुये अप्रार्थी संख्या 2 के हक हिस्से की भूमि अर्थात 1/12 हिस्सा में 2 कमरे शौचालय व रसोईघर बनाने की हद तक स्थगन से मुक्त किया जाता है, का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्व प्रार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश में बिना किसी आधार पर आदेश में संशोधन कर संयुक्त आराजी में निर्माण स्वीकृति देकर कानून गलती की है अत आदेश संशोधित निरस्त होने योग्य है आराजियात खसरा नम्बर 842,843, 846,847,848,860,872,879,880,881,917,921,360 कुल किता 14 कुल रकबा 4. 49 हैक्टेयर तन हनुमान नगर अपीलांट रेस्पोडेंट की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें अपीलांट का अविभाजित 1/3 हिस्सा है जिसका अभी तक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विधिवत बंटवारा नही हुआ है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अविभाजित भूमि में रेस्पोडेंट का स्पेसिक हिस्सा मानकर निर्माण स्वीकृति कानूनी प्रावधानों के विपरित की गई है जो कानूनन निरस्त होने योग्य है। कानूनी प्रावधानों के कृषि भूमि को बिना भूमि रूपान्तरण अकृषि भूमि के रूप में नही लिया जा सकता है उक्त कानूनी प्रावधानों पर कोई गैर नही कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की जो कानूनन निरस्त होने योग्य है। कानूनी प्रावधानों के तहत रेस्पोडेंट संयुक्त खातेदारी की भूमि में बिना विभाजन स्पेसिक हिस्से पर निर्माण स्वीकृति नही दी जा सकती है रेस्पोडेंट ने मनमाने तरीके से स्पेसिक पोर्शन पर कजाकर निर्माण करने से अपीलांट के हितो पर कुठारघात होता है इसलिए बिना विभाजन निर्माण कार्य को रूकवाया जाना न्याय संगत है। अत अपील स्वीकार कर आदेश में आंशिक संशोधन कर अनियंत्रित भूमि में निर्माण कार्य रूकवाये जाने की आज्ञा फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांधीन आदेश के माध्यम से वाद ग्रस्त भूमियों में दो कमरे शौचालय व रसोईघर बनाने की हद तक स्थगन में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के उपरान्त रेस्पोडेंट ने दो कमरे रसोई व शौचालय का निर्माण पूर्ण कर लिया है। केवल छत डालना बाकी है यह रेस्पोडेंट की मूलभूत आवश्यकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में संशोधन आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण विचारण न्यायालय में उभयपक्ष को सुना जाकर किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के संशोधन आदेश में हस्तक्षेप करना हम विधि सम्मत नही पाते है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन उभयपक्ष की साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त होना है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27/1/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
मू0 प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर